



राजस्थान सरकार  
निदेशालय, महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर




क्रमांक एफ 17(1)(4)/निमअ/रामआ/2012/ 555 2

जयपुर, दिनांक : 10.02.2022

आज्ञा

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती को अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग के पद पर मनोनीत किया जाता है। इनका कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से 3 वर्ष के लिए होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(श्रेया गुहा)

प्रमुख शासन सचिव  
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ 17(1)(4)/निमअ/रामआ/2012/5553-605 जयपुर, दिनांक : 10.02.2022

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. श्रीमती रेहाना रियाज, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त सचिव/समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिला कलक्टर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर।
9. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. आदेश पत्रावली।



आयुक्त  
महिला अधिकारिता